संख्या: 142 /2023/ 872 /चार-2023-59 (बजट)/2018

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2023

विषय: जनपद संत कबीर नगर में निर्माणाधीन संत कबीर अकादमी की स्थापना हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या- 141/ 2023/3027/चार-2022-59 (बजट) / 2018, दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा निर्माणाधीन संत कबीर अकादमी के निर्माण हेतु परियोजना के पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों के कार्य / कार्य मदें अनुमोदित करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 3033.47 लाख (रू0 तीस करोड़ तैंतिस लाख सैंतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्माणाधीन संत कबीर अकादमी के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59 (बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018, शासनादेश संख्या-92/2019/697/चार-2019-59 (बजट)/2018 दिनांक 26 मार्च, 2019, शासनादेश संख्या-150/2019/2607/चार-2019-59 (बजट)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2019, शासनादेश संख्या-125/2020/915/चार-2020-59 (बजट)/2018 दिनांक 10 सितम्बर, 2020, शासनादेश संख्या-01/2021/1950/चार-2020-59 (बजट)/2018 दिनांक 01 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्या-119/2021/1101/चार-2021-59 (बजट)/2018 दिनांक 29 जून, 2021, शासनादेश संख्या-172/2021/1683/चार-2021-59 (वि0)/2018 दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 तथा शासनादेश संख्या- 141/2023/3027/चार-2022-59 (बजट) / 2018, दिनांक 23 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का भविष्य में कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(4) पुनरीक्षित प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मिट्टी की मात्रा के दृष्टिगत संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना हेतु मिट्टी जिन किसानों के खेतों से प्राप्त की जाये, उन किसानों के नाम, ग्राम व उनके खेतों के खसरे का नम्बर किस किसान के खेत के किस खसरा नम्बर से कितनी मिट्टी प्राप्त की जानी है, उसका किसानवार, खसरावार मिट्टी की मात्रा, बरो एरिया के चार्ट का विवरण तथा किसानवार भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धी सूचनाओं का विवरण पारदर्शी तरीके से मेन्टेन किया जाय तथा इसकी किसी सक्षम स्तर के अधिकारी से समय-समय पर रेन्डम चेकिंग करायी जाये ताकि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता और द्विरावृत्ति न हो।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्यमदें यथा:- ट्रान्सफारमर, डी०जी० सेट, आडिटोरियम साउण्ड, लाइटिंग सिस्टम, आडीटोरियम चेयर्स व फर्नीचर, आदि की दरें कोटेशन / बाजार दर पर प्रस्तावित की गयी हैं प्रायोजना के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें, चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(10) प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 15 लाख की धनराशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया हैं तथा इसका विस्तृत लागत विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से विस्तृत लागत विवरण निर्माण से पूर्व प्राप्त कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था की होगी।

(14) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

3. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-44-संत कबीर अकादमी की स्थापना -24 वृहत् निर्माण कार्य मद से वहन किया जाएगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 , दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 142 /2023/ 872 (1) /चार-2023-59 (बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संतकबीरनगर, उ0प्र0।
3- निदेशक, संत कबीर अकादमी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।